मध्यप्रदेश विधान सभा

संक्षिप्त कार्य विवरण (पत्रक भाग-एक)

शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 2013 (फाल्गुन 17, 1934)

विधान सभा पूर्वाह्न 10.33 बजे समवेत हुई.

1. विशेष उल्लेख

विश्व महिला सशक्तीकरण दिवस पर शुभकामना प्रस्ताव

विश्व महिला सशक्तीकरण दिवस के उपलक्ष्य में अध्यक्ष महोदय द्वारा शुभकामनाएं व्यक्त करते हुए कहा गया कि - ''आज विश्व महिला सशक्तीकरण दिवस है। मैं इस अवसर पर महिलाओं के सशक्तीकरण के प्रति शुभकामनाएं व्यक्त करता हूँ और आशा करता हूँ कि हैवानियत समाप्त हो, समझदारी विकसित हो और महिलाओं को बराबरी का सम्मान मिले।''

सभी माननीय सदस्यों द्वारा खड़े होकर, अध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्तुत शुभकामना प्रस्ताव को, ध्वनि मत से स्वीकार किया गया। इस अवसर पर, श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री, चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष एवं श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्यगण द्वारा भी शुभकामनाएं व्यक्त की गई।

2. प्रश्नोत्तर

प्रश्नोत्तर सूची में शामिल 25 तारांकित में से 15 प्रश्नों पर अनुपूरक प्रश्न पूछे गये तथा उनके उत्तर दिये गये। प्रश्नोत्तर सूची में नियम 46 (2) के अंतर्गत अतारांकित प्रश्नोत्तर के रूप में परिवर्तित 88 तारांकित प्रश्नों के उत्तर तथा 75 अतारांकित प्रश्नों के उत्तर भी शामिल थे।

3. नियम 267-क के अधीन विषय

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से घोषणा की गई कि नियम 267-क के अधीन लम्बित सूचनाओं में से 25 सूचनाएं नियम 267-क (2) को शिथिल कर, आज सदन में लिये जाने की अनुज्ञा प्रदान की गई है। ये सूचनाएं संबंधित सदस्यों द्वारा पढ़ी हुई मानी जावेंगी तथा इन्हें उत्तर के लिये संबंधित विभागों को भेजा जाएगा। तदनुसार –

(1) श्री जुगुल किशोर, सदस्य की सतना जिले सहित प्रदेश के कर्मचारियों को प्रतिनियुक्ति पर भेजे जाने से समस्या होने,
(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य की टीकमगढ़ जिले के सुजारा क्षेत्र के कृषकों की भूमि का रिकार्ड अद्यतन न होने,
(3) श्री पारस सकलेचा, सदस्य की रतलाम जिले की सुभाष नगर में रेलवे ओव्हर ब्रिज का निर्माण किये जाने,
(4) श्रीमती लक्ष्मीदेवी खराड़ी, सदस्य की रतलाम जिले स्थित ग्रामों की बिजली काटी जाने,
(5) कुंवर विक्रम सिंह, सदस्य की छतरपुर जिले में उर्मिल नदी से रेत का अवैध उत्खनन होने,
(6) श्री दिलीप सिंह गुर्जर, सदस्य की नागदा के ग्राम ब्राह्मणखेड़ी और कन्थारखेड़ी को मुख्यमंत्री ग्रामीण सड़क योजना से जोड़े जाने,
(7) डॉ. निशिथ पटेल, सदस्य की कटनी जिले के थाना कोतवाली क्षेत्र में घटित घटना के अपराधियों को न पकड़े जाने,
(8) श्री सुनील जायसवाल, सदस्य की नरसिंहपुर जिले में करेली निवासी एक छात्रा की बलात्कार कर हत्या की जाने,
(9) श्री रामनिवास रावत, सदस्य की जिला श्योपुर के बूथ लेवल ऑफिसर, शिक्षकों को मानदेय राशि का भुगतान न होने,
(10) श्री सुदर्शन गुप्ता, सदस्य की प्रदेश में चल रहे हुक्का लांउज को बंद किये जाने,
(11) श्री ब्रजराज सिंह, सदस्य की श्योपुर जिले के ननावद से गुढ़ा मार्ग निर्माण में अनियमितता बरती जाने,
(12) श्री दीपक जोशी, सदस्य की सीहोर के शासकीय विवेकानंद हाईस्कूल की प्राचार्य द्वारा धनराशि का गबन किये जाने,
(13) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य की भिण्ड जिले की चंबल नदी पर निर्मित पुल का आवागमन बंद किये जाने,
(14) श्री रामलल्लू वैश्य, सदस्य की सिंगरौली नगर पालिका द्वारा किये जा रहे निर्माण कार्यों में अनियमितता की जाने,
(15) श्री विश्वास सारंग, सदस्य की प्रदेश के संविदा शाला शिक्षकों की भर्ती हेतु आयु सीमा कम की जाने,
(16) श्री प्रियव्रत सिंह, सदस्य की राजगढ़ जिले के ग्राम कूमड़ा में नल-जल योजना के पाईप डालने में अनियमितता की जाने,
(17) श्री पुरूषोत्तम दांगी, सदस्य की राजगढ़ जिले में सुठालिया नगर में घोघरा घाट तक डामरीकरण करने में अनियमितता होने,
(18) इंजी. प्रदीप लारिया, सदस्य की प्रदेश शासन द्वारा तृतीय व द्वितीय श्रेणी के शासकीय कर्मचारियों को 12 वर्ष में पदोन्नति दी जाने,
(19) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया, सदस्य की नीमच जिले के ग्राम लापिया में रतनजोत के बीज को खाने से अनेक बच्चे बीमार होने,
(20) श्री रामलखन सिंह, सदस्य की सतना जिले की ग्राम पंचायत बुढेरूआ के मृतक पंचायत कर्मी को आर्थिक सहायता न दिये जाने,

(21) श्री रमेश प्रसाद खटीक, सदस्य की शिवपुरी जिले की नरवर नगर पंचायत में अतिक्रमण के नाम पर बेदखली की जाने,

(22) श्री अजय सिंह, सदस्य की प्रदेश के दैनिक वेतन भोगी कर्मचारियों द्वारा आंदोलन किये जाने,

(23) श्री परसराम मुदगल, सदस्य की मुरैना में पेयजल संकट होने,

(24) श्री नारायण सिंह पट्टा, सदस्य की बिछिया क्षेत्र के ग्राम छिबला टोला में विद्युत संकट होने तथा

(25) डॉ. प्रभुराम चौधरी, सदस्य की रायसेन जिले के गैरतगंज ब्लाक में नहर हेतु अधिगृहीत भूमि का मुआवजा न दिये जाने, संबंधी नियम 267-क के अधीन शून्यकाल की सूचनाएं पढ़ी मानी गईं।

4. पत्रों का पटल पर रखा जाना

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने विक्रम विश्वविद्यालय, उज्जैन का 55 वां वार्षिक प्रतिवेदन, वर्ष 2011-12 पटल पर रखा।

5. ध्यान आकर्षण

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन की सहमति से नियम (138) (3) को शिथिल करके, आज की कार्यसूची में उल्लेखित 6 ध्यानाकर्षण सूचनाएं लिये जाने सम्बन्धी घोषणा की गई। तदनुसार -

(1) डॉ. गोविन्द सिंह एवं श्री अरविन्द सिंह भदौरिया, सदस्यगण ने भिण्ड जिले में सड़क निर्माण कार्य में अनियमितता होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(2) श्री यादवेन्द्र सिंह, सदस्य ने टीकमगढ़ जिले के ग्राम पाण्डेर में भूमिहीनों को दिये गये पट्टे की भूमि पर अवैध कब्जा होने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री करण सिंह वर्मा, राजस्व मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(3) सर्वश्री प्रेमनारायण ठाकुर, सदस्य ने छिन्दवाड़ा नरसिंहपुर सड़क निर्माण में वृक्षों की कटाई किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री नागेन्द्र सिंह, लोक निर्माण मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(4) सर्वश्री प्रहलाद भारती एवं रामनिवास रावत, सदस्यगण ने शिवपुरी जिले के पोहरी अनुभाग में पिछड़े वर्ग के जाति प्रमाण पत्र नहीं बनाये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री कन्हैयालाल अग्रवाल, राज्यमंत्री, सामान्य प्रशासन ने इस पर वक्तव्य दिया।

(5) श्री नारायण प्रजापति, सदस्य ने सागर स्थित बुन्देलखण्ड मेडिकल कालेज में विशेषज्ञ चिकित्सक पदस्थ न किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

(6) श्री राम लल्लू वैश्य, सदस्य ने सिंगरौली नगर पालिका द्वारा गुणवत्ता विहीन निर्माण कार्य किये जाने की ओर ध्यान आकर्षित किया। श्री मनोहर ऊंटवाल, राज्यमंत्री, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने इस पर वक्तव्य दिया।

6. याचिकाओं की प्रस्तुति

अध्यक्ष महोदय द्वारा की गई घोषणानुसार, दैनिक कार्यसूची में उल्लिखित सदस्यों की याचिकाएं प्रस्तुत हुई मानी गईं:-

(1) श्री नारायण सिंह पट्टा (जिला-मण्डला)

(2) श्री पुरूषोत्तम दांगी (जिला-राजगढ़)

(3) श्री हेमराज कल्पोनी (जिला-राजगढ़)

7. शासकीय विधि विषयक कार्य

श्री लक्ष्मीकांत शर्मा, उच्च शिक्षा मंत्री ने मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013) सदन की अनुमति से पुरःस्थापित किया।

8. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(दिनांक 4, 5, 6 एवं 7 मार्च, 2013 को हुई चर्चा का पुनर्ग्रहण)

(11) श्री बाबूलाल गौर, नगरीय प्रशासन एवं विकास मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 22	नगरीय प्रशासन एवं विकास-नगरीय निकाय के लिए तीन सौ उनचास करोड़, दस लाख, तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 72	भोपाल गैस त्रासदी राहत एवं पुनर्वास के लिए तिरासी करोड़, अड़सठ लाख, बीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 53	अनुसूचित जाति उपयोजना अंतर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए दो सौ छियानवे करोड़, पैंतालीस लाख, इक्कीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 68	आदिवासी क्षेत्र उपयोजना के अन्तर्गत नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए पैंतालीस करोड़, निन्यानवे लाख, छप्पन हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 75	नगरीय निकायों को वित्तीय सहायता के लिए पांच हजार पचासी करोड़, दस लाख, बत्तीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 78	सिंहस्थ, 2016 से संबंधित व्यय के लिए एक सौ पच्चीस करोड़, एक हजार रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) श्री प्रद्युम्न सिंह तोमर
(2) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(3) श्री प्रदीप जायसवाल
(4) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(5) श्री श्रीकांत दुबे
(6) श्री पारस सकलेचा
(7) श्री मनीराम धाकड़
(8) श्री राधेश्याम पाटीदार
(9) श्री नारायण प्रजापति
(10) कुं. विक्रम सिंह

श्री बाबूलाल गौर ने चर्चा का उत्तर दिया ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

9. कार्य मंत्रणा समिति के प्रतिवेदन की प्रस्तुति एवं स्वीकृति

अध्यक्ष महोदय द्वारा सदन को सूचित किया गया कि कार्य मंत्रणा समिति की बैठक शुक्रवार, दिनांक 8 मार्च, 2013 को सम्पन्न हुई, जिसमें निम्नलिखित शासकीय विधेयक पर चर्चा हेतु उसके सम्मुख अंकित समय निर्धारित करने की सिफारिश की गई है :-

क्रमांक	शासकीय विधेयक	आवंटित समय
1.	मध्यप्रदेश निजी विश्वविद्यालय (स्थापना एवं संचालन) संशोधन विधेयक, 2013 (क्रमांक 2 सन् 2013)	30 मिनट

समिति द्वारा लिए गए निर्णयानुसार -

(1) सोमवार, दिनांक 11 मार्च, 2013 को सभा की बैठक नहीं होगी।

(2) मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 2013 से शुक्रवार, 15 मार्च, 2013 तक सभा की बैठकों में भोजनावकाश नहीं होगा तथा बैठकें अपराह्न 7.00 बजे तक होगी।

(3) मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 2013 को वर्ष 2012-13 के तृतीय अनुपूरक अनुमान का उपस्थापन होगा तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक, 2013 का पुर:स्थापन, विचारण एवं पारण होगा।

(4) वर्ष 2013-14 के आय-व्ययक की अनुदान मांगों पर मतदान गुरुवार, दिनांक 14 मार्च, 2013 के स्थान पर शुक्रवार, 15 मार्च, 2013 को पूर्ण होगा तथा तत्संबंधी विनियोग विधेयक, 2013 पुर:स्थापित किया जायेगा।

डॉ. नरोत्तम मिश्रा, संसदीय कार्य मंत्री ने प्रस्ताव किया कि अभी अध्यक्ष महोदय ने जिन कार्यों पर चर्चा के लिए समय निर्धारण करने के संबंध में कार्य मंत्रणा समिति की जो सिफारिशें पढ़ कर सुनाई, उन्हें सदन स्वीकृति देता है।

प्रस्ताव सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

10. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(12) श्री कैलाश विजयवर्गीय, वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार मंत्री ने राज्यपाल महोदय की सिफारिश के अनुसार प्रस्ताव किया कि 31 मार्च, 2014 को समाप्त होने वाले वर्ष में राज्य की संचित निधि में से प्रस्तावित व्यय के निमित्त राज्यपाल महोदय को –

अनुदान संख्या – 11	वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार के लिए आठ सौ बासठ करोड़, सोलह लाख, बासठ हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 46	विज्ञान और टेक्नालॉजी के लिए सत्ताईस करोड़, नवासी लाख, तीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 56	ग्रामोद्योग के लिए एक सौ इक्यावन करोड़, सोलह लाख, चौबीस हजार रूपये,
अनुदान संख्या – 69	सूचना प्रौद्योगिकी के लिए पचहत्तर करोड़, तीन लाख, पच्चीस हजार रूपये तथा
अनुदान संख्या – 71	जैव विविधता (बायो डायवर्सिटी) तथा जैव प्रौद्योगिकी (बायोटेक्नालॉजी) के लिए पांच करोड़ रूपये तक की राशि दी जाए।

उपस्थित सदस्यों के कटौती प्रस्ताव प्रस्तुत होने के पश्चात्, मांगों और कटौती प्रस्तावों पर एक साथ हुई चर्चा में निम्नलिखित सदस्यों ने भाग लिया :-

(1) चौधरी राकेश सिंह चतुर्वेदी, उप नेता प्रतिपक्ष
(2) श्री विश्वास सारंग

11. अध्यक्षीय घोषणा
अशासकीय कार्य के समय में परिवर्तन विषयक

सभापति महोदय द्वारा सदन की सहमति से यह घोषणा की गई कि – ''विधान सभा की प्रक्रिया तथा कार्य संचालन सम्बन्धी नियम 23 के अनुसार शुक्रवार की बैठक के अंतिम ढाई घन्टे गैर सरकारी सदस्यों के कार्य के सम्पादन के लिए नियत है तथा आज अपराह्न 3.30 बजे से अशासकीय कार्य लिया जाना है परन्तु आज की कार्यसूची में उल्लेखित वाणिज्य, उद्योग एवं रोजगार विभाग की मांगों पर चर्चा पूर्ण होने के उपरान्त अशासकीय कार्य लिया जाएगा।''

12. वर्ष 2013-14 की अनुदानों की मांगों पर मतदान (क्रमशः)

(3) श्री श्रीकांत दुबे
(4) श्री गिरिजाशंकर शर्मा
(5) श्री पुरूषोत्तम दांगी
(6) श्री यशपाल सिंह सिसोदिया
(7) श्री पारस सकलेचा
(8) श्री नारायण प्रजापति

श्री कैलाश विजयवर्गीय ने उत्तर के दौरान जबलपुर में आई.टी.पार्क की स्थापना हेतु भारत सरकार द्वारा 23 करोड़ की स्वीकृति प्रदान करने की जानकारी भी दी गई। इसके लिए अध्यक्ष महोदय द्वारा भारत सरकार के प्रति आभार व्यक्त किया गया । इसी दौरान मंत्री महोदय द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से, मध्यप्रदेश के उन 91 उद्योगों की सूची पटल पर रखी गई, जिनमें एम.ओ.यू. होकर उत्पादन भी प्रारम्भ हो गया है ।

कटौती प्रस्ताव अस्वीकृत हुए।
मांगों का प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

13. अशासकीय संकल्प

(1) श्री राजेश वर्मा, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि –

''यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ललितपुर-सिंगरौली स्वीकृत रेल लाईन के हिस्से में पन्ना से सतना तक के लिये कार्य शीघ्र प्रारंभ किया जाय''. तथा संक्षिप्त भाषण दिया।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

(2) श्री पांचीलाल मेड़ा, सदस्य का निम्नलिखित संकल्प उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नही किया गया कि –

''यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि इंदौर से मनमाड़ तक व्हाया धामनौद सेंधवा रेल लाईन बिछायी जाय''.

(3) डॉ. गोविन्द सिंह, सदस्य का निम्नलिखित संकल्प उनकी अनुपस्थितिवश प्रस्तुत नही किया गया कि –

'' सदन का यह मत है कि प्रदेश में प्रत्येक विकास खंड एवं तहसील स्तर पर शासकीय या निजी कृषि उच्चतर माध्यमिक विद्यालय एवं प्रत्येक जिला स्तर पर शासकीय अथवा निजी कृषि महाविद्यालय खोला जाय''.

(4) श्री पुरुषोत्तम दांगी, सदस्य ने निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत किया कि –

''यह सदन केन्द्र शासन से अनुरोध करता है कि ब्यावरा-सुठालिया-मधुसूदनगढ़-लटेरी-सिरोंज-कुरवाई होते हुए बीना जंक्शन तक नई रेल लाईन बिछायी जाय''. तथा संक्षिप्त भाषण दिया ।

श्री जगदीश देवड़ा, परिवहन मंत्री ने उत्तर दिया।

संकल्प सर्वसम्मति से स्वीकृत हुआ।

अपराह्न 5.04 बजे विधान सभा की कार्यवाही मंगलवार, दिनांक 12 मार्च, 2013 (फाल्गुन 21, 1934) के पूर्वाह्न 10.30 बजे तक के लिए स्थगित की गई ।

राजकुमार पांडे
प्रमुख सचिव,
मध्यप्रदेश विधान सभा

भोपाल :
दिनांक : 8 मार्च, 2013